भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

**लोक सभा**

**तारांकित प्रश्न संख्या 28**

**27 नवंबर, 2024 के लिए प्रश्न**

**प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थी**

**28. श्री बी. के. पार्थसारथी:**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश में विस्तारित प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत लाभार्थियों की कुल संख्या के बारे में जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) आंध्र प्रदेश में अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवारों और उसके अंतर्गत प्राथमिकता वाले परिवारों (पीएचएच) के लाभार्थियों की कुल संख्या कितनी है और वर्तमान में इसके लिए खाद्यान्न आवंटन का ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले पांच वर्षो में प्रत्येक वर्ष के दौरान उक्त योजना के लिए आवंटित धनराशि राज्य-वार कितनी-कितनी है;

(घ) गरीब लोगों और अति गरीब लोगों के वित्तीय बोझ को समाप्त करने के लिए संतोषजनक खाद्यान्न सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में इस योजना की राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ड.) क्या सरकार ने लाभार्थियों तक पीएमजीकेएवाई की प्रभावी सुलभता और जानकारी के लिए कोई कदम उठाए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी इसके लाभ से वंचित न रह जाए और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री**

**(श्री प्रल्हाद जोशी)**

**(क) से (ड.)** विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

******

**लोक सभा में दिनांक 27.11.2024 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न सं. 28 के भाग (क) से (ड.) तक के उत्तर में उल्लिखित विवरण।**

**(क) और (ख):** केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत लाभार्थियों की पहचान और उनके राशन कार्ड जारी करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत अपात्र लाभार्थियों को सूची से हटाना और पात्र लाभार्थियों को जोड़ना एक सतत प्रक्रिया है। इसके कारण, लाभार्थी डाटाबेस की प्रकृति गतिशील है/ लाभार्थी डाटाबेस बदलता रहता है। वर्तमान में, आंध्र प्रदेश में 2.68 करोड़ लाभार्थी पीएमजीकेएवाई के तहत लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में पीएमजीकेएवाई लाभार्थियों की जिले-वार सूची अनुबंध-I में दी गई है। इसके अलावा, वर्तमान में कुल 1,55,987.00 टन खाद्यान्न, जिसमें एनएफएसए के तहत 154148.03 टन चावल और टाइड ओवर के तहत 1838.97 टन गेहूं शामिल है, आंध्र प्रदेश को आवंटित किया जा रहा है।

**(ग):** भारत सरकार/वित्त मंत्रालय पीएमजीकेएवाई (प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना) के तहत राज्यवार निधियां आवंटित नहीं करता है, बल्कि यह एफसीआई (भारतीय खाद्य निगम) और उन राज्यों को खाद्य सब्सिडी जारी करता है, जिन्होंने लक्षित लाभार्थियों को खाद्यान्नों के वितरण के आधार पर विकेंद्रीकृत खरीद को अपनाया है। पिछले पांच वर्षों में एफसीआई और डीसीपी राज्यों को जारी खाद्य सब्सिडी का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

| क्र.सं. | वित्त वर्ष | एफसीआई* | डीसीपी राज्य | (करोड़ रुपए में) |
|---|---|---|---|---|
| | वर्ष | जारी की गई सब्सिडी | जारी की गई सब्सिडी | जारी की गई कुल सब्सिडी |
| | 2019-20 | 119164.00 | **33508.35 | 152672.35 |
| | 2020-21 | 462789.00 | 78337.77 | 541126.77 |
| | 2021-22 | 208929.00 | 79789.54 | 288718.54 |
| | 2022-23 | 200219.20 | 72282.50 | 272501.70 |
| | 2023-24 | 139661.03 | 71733.36 | 211394.39 |

.....2/-

**नोट:**

- *इसमें एफसीआई द्वारा वित्त वर्ष 2019-20 में 44,164.02 करोड़ रुपये के एनएसएसएफ ऋण का पुनर्भुगतान शामिल है।
- *वित्त वर्ष 2020-21 के लिए खाद्य सब्सिडी से जारी 3,39,236 करोड़ रुपये को सम्पूर्ण एनएसएसएफ ऋण के पुनर्भुगतान के लिए समायोजित किया गया।
- **वर्ष 2019-20 में संशोधित अनुमान 33508.35 करोड़ रुपये था। इसमें एफसीआई से डीसीपी राज्यों हेतु लिए गए 11,436 करोड़ रुपये (एनएसएसएफ ऋण के भाग के रूप में) शामिल नहीं हैं, जिन्हें वर्ष 2020-21 में एफसीआई को वापस कर दिया गया था।

इसके अलावा, डीसीपी राज्यों को जारी खाद्य सब्सिडी का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

**(घ):** केंद्र सरकार ने गरीब लाभार्थियों के वितीय बोझ को दूर करने और देशव्यापी एकरूपता तथा इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत दिनांक 1 जनवरी 2023 से शुरू होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिए एनएफएसए लाभार्थियों अर्थात अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवारों और प्राथमिकता वाले परिवारों (पीएचएच लाभार्थियों) को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्णय लिया था। निःशुल्क खाद्यान्नों के वितरण की अवधि को आगे पांच वर्षों अर्थात जनवरी 2024 से बढ़ा दिया गया है।

**(ड.)** पूरे देश की जनता में पीएमजीकेएवाई के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए आईईसी अभियान चलाया गया। इसमें चयनित स्थानों पर पीएमजीकेएवाई बैनर और सेल्फी प्वाइंट लगाना और रेडियो पर जिंगल, टेलीविजन पर वीडियो क्लिप, इलेक्ट्रॉनिक/सोशल मीडिया जैसे अन्य मीडिया का उपयोग करना तथा लाभार्थियों को पीएमजीकेएवाई से संबंधित जागरूकता फैलाने के लिए खाद्यान्न की गुणवत्ता, पात्र मात्रा, निःशुल्क राशन की उपलब्धता आदि जानकारी देने वाले एवं दोबारा उपयोग में लाए जाने वाले 10 किलोग्राम के मुद्रित कैरी बैग का वितरण करना शामिल था। पीएमजीकेएवाई के संबंध में लाभार्थियों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए खाद्यान्नों की गुणवत्ता, पात्र मात्रा, नि:शुल्क राशन की उपलब्धता आदि का विवरण कैरी बैग पर दिया गया होता है।

*****

**अनुबंध-I**

**लोक सभा में दिनांक 27.11.2024 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न सं. 28 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।**

**आंध्र प्रदेश में जिले-वार पीएमजीकेएवाई लाभार्थी**

| क्र. सं. | जिला | राशन कार्ड संख्या (काउंट) | | | लाभार्थी संख्या (काउंट) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | एएवाई | पीएचएच | कुल | एएवाई | पीएचएच | कुल |
| 1 | अल्लूरी सीतारमा राजू | 61,161 | 2,27,886 | 2,89,047 | 2,04,923 | 6,64,717 | 8,69,640 |
| 2 | अनकापल्ली | 26,184 | 4,73,663 | 4,99,847 | 65,776 | 13,59,124 | 14,24,900 |
| 3 | अनंतपुर | 52,137 | 5,45,890 | 5,98,027 | 1,51,659 | 17,31,329 | 18,82,988 |
| 4 | अन्नमय्या | 39,564 | 4,11,154 | 4,50,718 | 1,12,258 | 12,76,871 | 13,89,129 |
| 5 | बापतला | 21,229 | 1,33,012 | 1,54,241 | 47,751 | 3,69,910 | 4,17,661 |
| 6 | चित्तूर | 39,113 | 4,50,626 | 4,89,739 | 1,22,551 | 14,52,098 | 15,74,649 |
| 7 | पूर्वी गोदावरी | 20,547 | 1,30,318 | 1,50,865 | 43,686 | 3,70,791 | 4,14,477 |
| 8 | एलुरु | 34,484 | 1,80,497 | 2,14,981 | 79,753 | 5,22,815 | 6,02,568 |
| 9 | गुंटूर | 23,302 | 1,51,127 | 1,74,429 | 51,658 | 4,35,847 | 4,87,505 |
| 10 | काकीनाडा | 22,367 | 1,22,751 | 1,45,118 | 47,713 | 3,50,707 | 3,98,420 |
| 11 | कोनासीमा | 23,832 | 1,40,702 | 1,64,534 | 56,094 | 4,09,194 | 4,65,288 |
| 12 | कृष्णा | 29,527 | 1,26,606 | 1,56,133 | 68,464 | 3,58,187 | 4,26,651 |
| 13 | कुर्नूल | 42,749 | 5,58,003 | 6,00,752 | 1,55,716 | 18,71,844 | 20,27,560 |
| 14 | मन्यम | 55,143 | 2,03,744 | 2,58,887 | 1,69,233 | 6,15,447 | 7,84,680 |
| 15 | नांदियाल | 28,624 | 4,58,631 | 4,87,255 | 78,264 | 14,00,421 | 14,78,685 |
| 16 | एनटीआर | 22,268 | 1,51,709 | 1,73,977 | 58,200 | 4,49,949 | 5,08,149 |
| 17 | पलनाडु | 29,487 | 1,61,304 | 1,90,791 | 71,838 | 4,77,094 | 5,48,932 |
| 18 | प्रकाशम | 31,917 | 5,56,164 | 5,88,081 | 86,217 | 16,88,714 | 17,74,931 |
| 19 | एसपीएसआर नेल्लोर | 38,705 | 2,00,510 | 2,39,215 | 87,934 | 5,74,515 | 6,62,449 |
| 20 | श्रीकाकुलम | 35,497 | 5,73,986 | 6,09,483 | 95,623 | 17,39,571 | 18,35,194 |
| 21 | श्री सत्य साईं | 49,034 | 4,66,015 | 5,15,049 | 1,40,489 | 14,50,367 | 15,90,856 |
| 22 | तिरुपति | 37,715 | 4,02,730 | 4,40,445 | 95,666 | 11,77,033 | 12,72,699 |
| 23 | विशाखापत्तनम | 11,662 | 1,23,921 | 1,35,583 | 31,103 | 3,75,882 | 4,06,985 |
| 24 | विजयनगरम | 36,994 | 5,01,956 | 5,38,950 | 96,010 | 14,77,310 | 15,73,320 |
| 25 | पश्चिम गोदावरी | 30,733 | 1,08,720 | 1,39,453 | 70,740 | 3,08,412 | 3,79,152 |
| 26 | वाई.एस.आर. | 36,017 | 4,93,908 | 5,29,925 | 99,100 | 15,33,438 | 16,32,538 |
| | कुल | 8,79,992 | 80,55,533 | 89,35,525 | 23,88,419 | 2,44,41,587 | 2,68,30,006 |

*****

**अनुबंध-II**

**लोक सभा में दिनांक 27.11.2024 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न सं. 28 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।**

**डीसीपी राज्यों को जारी खाद्य सब्सिडी का राज्य-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:**

(आंकड़े करोड़ रुपए में)

| क्र. सं. | राज्य का नाम | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 7404.42 | 8424.72 | 9323.38 | 6635.97 | 6268.19 |
| 2 | बिहार | 2535.71 | 4117.33 | 7671.9 | 10966.1 | 6557.64 |
| 3 | छत्तीसगढ | 4628.11 | 7193.13 | 9047.77 | 7574.81 | 5236.13 |
| 4 | गुजरात | 69.03 | 9.24 | 749.43 | 311.54 | 267.83 |
| 5 | कर्नाटक | 205.79 | 323.99 | 1682.12 | 2191.75 | 1222.13 |
| 6 | केरल | 469.3 | 1214.98 | 1777.86 | 1544.89 | 1151.85 |
| 7 | मध्य प्रदेश | 8888.39 | 11946.44 | 14420.62 | 9471.5 | 16939.27 |
| 8 | महाराष्ट्र | 1920.17 | 2555.74 | 4082.07 | 2725.75 | 3923.29 |
| 9 | ओडिशा | 5807.45 | 8985.73 | 7892.69 | 7600.05 | 14473.68 |
| 10 | पंजाब | 1612.09 | 1761.53 | 2047.53 | 1202.49 | 2064.56 |
| 11 | राजस्थान | - | - | - | - | 0 |
| 12 | तमिलनाडु | 3242.79 | 3109.76 | 6250.93 | 8685.95 | 7072.53 |
| 13 | तेलंगाना | 4858.89 | 6879.59 | 7665.02 | 5242.76 | 5367.07 |
| 14 | उत्तर प्रदेश | - | - | - | - | 0 |
| 15 | उत्तराखंड | 903.12 | 1371.33 | 1554.43 | 1212.25 | 724.39 |
| 16 | पश्चिम बंगाल | 2194.86 | 8792.03 | 5421.34 | 6580.11 | 0 |
| 17 | झारखंड | - | 3.66 | - | - | 42.77 |
| 18 | त्रिपुरा | - | 29.79 | 15.58 | 148.67 | 106.51 |
| 19 | डीबीटी एवं विविध | 204.24 | 182.78 | 186.87 | 187.9 | 267.6 |
| 20 | हिमाचल प्रदेश | | | | | 47.38 |
| | | 44944.36 | 66901.77 | 79789.54 | 72282.49 | 71732.82 |

**********